International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2023; 5(11): 30-33
Received: 15-09-2023
Accepted: 22-10-2023

सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

स्त्री, सामाजिक समावेशन एवं सरकारी योजनाएँः विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरिता

सारांश
हमारे देश में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था रही है। स्त्रियाँ समाज के अधिकतर क्षेत्रों से दूर रही, उनकी भागीदारी पुरुषों के समान नहीं रही। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या भी कम है। स्वतंत्रता के समय तो उनकी सामाजिक स्थिति और अधिक विकट थी। उनकी सामाजिक स्थिति, भागीदारी में स्वतंत्रता के उपरांत सुधार तो हुआ है, परन्तु अभी भी वह अपर्याप्त है। हरियाणा प्रदेश में तो स्त्रियों की जनसंख्या, साक्षरता दर इत्यादि बहुत कम है। पुरुषों की तुलना में उनकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कम है। घर से बाहर के क्षेत्र प्रायः उनके लिए नहीं रहे। इस शोध लेख का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा प्रदेश में स्त्रियों के सामाजिक समावेशन संबंधी लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का गहनतापूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। केन्द्र एवं राज्य सरकार ने बालिकाओं, स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि करने, भ्रूण हत्या को समाप्त करने, उनकी समाज में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कौन–कौन सी योजनाएँ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं इसका अध्ययन करना इस शोध का उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

कुटशब्दः स्त्री, योजनाएँ, समावेशन, भागीदारी

प्रस्तावना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP)

हरियाणा प्रदेश में 22 जनवरी 2015 से लागू इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के साथ लिंग अनुपात में सुधार करना है। केंद्र सरकार की इस योजना में महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सम्मिलित है। इन तीनों मंत्रालयों का यह साझा प्रयास है। 2011 की जनगणना में देश के सबसे कम बाल–लिंग अनुपात वाले सौ जिलों में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। हरियाणा का बाल–लिंग अनुपात देश में 2011 की जनगणना में सबसे निम्न पाया गया था। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं– लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्याओं को रोकना, बेटियों का बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बेटियों की शिक्षा में भागीदारी एवं सषक्तीकरण सुनिश्चित करना।

इस योजना का एक लक्ष्य बेटियों के जन्म का उत्सव मनाने एवं उनकी शिक्षा को संभव बनाने का है। केंद्र एवं राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में इस योजना की लागत वहन करती हैं। इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर उसकी 14 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह अभिभावक 1000 रुपये बेटी के नाम से बैंक खाते में जमा करते हैं जो कि योजना में रुपए बढ़कर बेटी के 18 वर्ष की आयु होने पर राशि अभिभावक प्राप्त करते हैं। इस योजना में पंजीकरण बेटी की आयु 10 वर्ष तक होने तक कराया जा सकता है।

किशोरी शक्ति योजना (KYS)

हरियाणा में केंद्र सरकार की किशोरी शक्ति योजना 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य में तथा आत्मविश्वास में सुधार लाना है। इस योजना का संबंध विद्यालय छोड़ चुकी या विद्यालय न जाने वाली किशोरी बालिकाओं से है जिसमें उनकी शिक्षा को जीवन कौशल, संख्यात्मक कौशल से जोड़कर अधिक से अधिक सामाजिक एवं ज्ञान के अवसर देकर इनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाना है। किशोरी बालिकाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष या और देरी से करने का उद्देश्य भी है। किशोरी बालिकाओं द्वारा समाज में उत्पादक गतिविधियों को प्रारंभ करना भी इसका उद्देश्य है। इस प्रकार इन बालिकाओं की समझ में भागीदारी को बढ़ावा देकर एक सहयोगी सदस्य बनने में यह योजना महत्वपूर्ण है।

एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ICPS)

यह एक वृहत् योजना है जिसमें बच्चों की देखभाल, सुरक्षा एवं आवश्यकता से संबंधित विभिन्न योजनाएं आती हैं। हरियाणा राज्य बाल सुरक्षा समिति द्वारा यह योजना लागू है। जरूरतमंद बच्चों को जिन्हें सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है उन्हें यह सब उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 15 जनवरी, 2016 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस फंड स्थापित किया गया है जो नाबालिगों को सुविधाएँ देने में इस्तेमाल होता है। बच्चों की 'चिल्ड्रन इन कनफ्लिक्ट विद लॉ' एवं 'चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटक्शन' इसके अंतर्गत आते हैं।

अतः यह योजना एक छत के नीचे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी अन्य बहुत–सी योजनाओं को एक साथ लाती है ताकि बच्चों को तत्वरित सहायता दी जा सके।

निर्भया फंड एवं महिला पुलिस वालंटियर (MVPs)

दिसंबर 2012 की त्रासदी के उपरांत वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने इस फंड की स्थापना 25 मार्च, 2015 को की थी। इस फंड का इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव के लिए किया जाता है जो उनके साथ सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा इत्यादि की घटनाएं होती हैं उससे बचाव व सुरक्षा देने के लिए। इसके अंतर्गत 2016–2017 में हरियाणा के करनाल एवं महेंद्रगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महिला पुलिस वालंटियर की स्थापना की गई। इसमें लिंग आधारित हिंसा जिसका सामना निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाएं करती हैं, उसे रोकने के लिए जेंडर रिस्पोंसिव पुलिस सेवा को आवश्यक माना गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुदाय और पुलिस का महिलाओं के साथ अपराधों के संबंध में तालमेल बनाना है। प्रारंभिक स्तर पर यह योजना निम्न लिंग अनुपात एवं महिलाओं के साथ अपराध की श्रेणी में उच्च रहने वाले जिलों में प्रारंभ की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

हरियाणा मे 1 जनवरी, 2017 से यह योजना सभी जिलों में लागू है। इस योजना के अंतर्गत कुल पांच हजार रुपये तीन किस्तों में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं को उनके प्रथम बच्चों के लिए सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं – महिलाओं को प्रथम बच्चे के जन्म से पहले एवं उसके उपरांत मजदूरी के नुकसान की भरपाई हेतु यह राशि प्रदान की जाती है। इस राशि द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना प्रमुख है। इस योजना में राशि की पहली किस्त गर्भवती स्त्रियों द्वारा पंजीकरण के समय, दूसरी गर्भधारण के 6 महीने के बाद और अंतिम किस्त बच्चे के जन्म के उपरांत प्रदान की जाती है।

पोषण अभियान

यह अभियान 8 मार्च, 2018 को राजस्थान से प्रारंभ किया गया था और हरियाणा प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है। किशोरी बालिकाओं, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर कर उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस अभियान का वृहत् लक्ष्य कुपोषण की समस्या को दूर करना है। इसके अंतर्गत जन्म से 6 वर्ष के बच्चों का वृद्धि रोग से बचाव करना, उनके पोषण स्तर को बढ़ाना, एनीमिया के प्रसार को कम करना, किशोरी बालिकाओं एवं स्त्रियों में खून की कमी को कम करना इत्यादि आते हैं। स्पष्ट है कि इस अभियान में कुपोषण की समस्या को समग्रता से लिया गया है एवं उसके समाधान भी सुझाव गए हैं।

उज्ज्वला योजना

यह योजना बच्चों एवं स्त्रियों की तस्करी को रोकने तथा उनका बचाव करने तथा पैसों के लिए हुए यौन उत्पीड़न और उसके लिए तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देष्य हैं – स्त्रियों और बच्चों की तस्करी जो कि उनके यौन उत्पीड़न हेतु होती है, उसको रोकना, जनता को इसके प्रति संवेदनशील बनाना एवं विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से जागरूक करना। इस प्रकार की तस्करी और यौन उत्पीड़न से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं को उत्पीड़न स्थलों से बचाना, बाहर निकलना तथा उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने को बढ़ावा देना। ऐसे पीड़ित बच्चों एवं स्त्रियों के तत्कालीन और दीर्घकालीन, दोनों प्रकार की पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना, इनका उनके परिवार और समाज में पुनः एकीकरण को बढ़ावा देना एवं सीमा पार पीड़ितों को देश में वापस लाने को बढ़ावा देना इत्यादि।

वन स्टॉप सेंटर स्कीम (OSCS)

केंद्र सरकार की यह योजना भी हरियाणा प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत स्त्रियों के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा और प्रताड़ना होने पर उसकी सहायता की जाती है। इस योजना में एक स्थान पर ही अन्य सभी प्रकार की सेवाओं को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है ताकि स्त्रियों को सभी प्रकार की मदद एक जगह पर प्राप्त हो सके। प्रारंभ में हरियाणा के करनाल में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई थी और अब 22 ऐसे केंद्र स्थापित हैं। निश्चित रूप से ऐसे केंद्रों से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।

महिला शक्ति केंद्र स्कीम (MSK)

ग्रामीण महिलाओं के सषक्तीकरण के लिए 2017–2018 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना में ग्रामीण स्त्रियों के सषक्तीकरण में उनकी सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि करना उद्देश्य है। यह योजना एक प्रकार से ग्रामीण स्त्रियों और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करती है जिससे ग्रामीण स्त्रियां सरकार तक पहुंच स्थापित कर अपनी क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ अपनी पात्रता का लाभ भी ले सकती हैं।

यह योजना स्त्रियों की भागीदारी एवं बेहतर समायोजन की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र (SRCW)

इस योजना के अंतर्गत ये केंद्र स्त्रियों से संबंधित वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों इत्यादि की समीक्षा एवं मूल्यांकन करते हैं ताकि योजनाओं, नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके एवं स्त्रियों तक इसका लाभ पहुंच सके। इस योजना के अंतर्गत ये संसाधन केंद्र स्त्रियों से जुड़ी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता के साथ–साथ अनुसंधान एवं अध्ययन विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाने का कार्य भी करते हैं।

इस प्रकार यह केंद्र स्त्रियों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं एवं स्त्री सषक्तीकरण में सहायक हैं।

सखी निवास वर्किंग वूमेन हॉस्टल

यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है जिसकी संपूर्ण राशि केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना का प्रारंभ देशभर में 1972–73 में किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन स्त्रियों को सुरक्षित सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना था जो अपने घरों से दूर, घर को छोड़ काम की तलाश में शहरों, ग्रामीण कस्बों में आई हैं। भारत सरकार ऐसी कामकाजी स्त्रियों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। यह योजना हरियाणा प्रदेश में भी लागू है। कामकाजी स्त्रियों के अतिरिक्त काम का प्रशिक्षण ले रहे स्त्रियाँ भी इस योजना को लाभ ले

सकती हैं और कामकाजी स्त्री अपनी लड़की को उसकी 18 वर्ष की आयु तक एवं लड़के को उसकी 5 वर्ष तक आयु तक इस प्रकार के अपने आवास में अपने साथ रख सकती हैं। इस योजना में शर्त है कि यह सुविधा केवल उन्हीं कामकाजी स्त्रियों को मिलेगी जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, विवाहित तो हैं लेकिन उसका पति या परिवार इस शहर या क्षेत्र में न रहते हों। प्रतिमाह आय के मानदंडों का भी इसका ध्यान रखा जाता है।
यह योजना स्त्रियों की समाज में भागीदारी को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

मिशन शक्ति (Women Helpline Scheme)

यह एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें स्त्रियों की सुरक्षा, बचाव तथा सषक्तीकरण सम्मिलित है। इस योजना का कार्यान्वयन 2021, 2025–26 तक रहेगा। इस योजना के अंतर्गत 'संबल' और 'सामर्थ्य' नाम की दो उपयोजनाएं है। संबल उपयोजना स्त्रियों के बचाव एवं सुरक्षा से संबंधित है तथा सामर्थ्य स्त्रियों के सषक्तीकरण से संबंधित है।
इस प्रकार मिशन शक्ति कार्यक्रम वृहत् कार्यक्रम है जिसमें स्त्रियों की सुरक्षा से लेकर उसके सषक्तीकरण तक को सम्मिलित किया गया है। इसमें इसकी उपयोजनाओं के माध्यम से स्त्रियों को सहायता एवं सहयोग दिया जाता है जिससे उसकी समाज की गतिविधियों में भागीदारी बढ़े एवं स्वयं उसका सषक्तीकरण हो।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

हरियाणा में यह योजना 1 जनवरी, 2006 से लागू है। हरियाणा प्रदेश में असंतुलित सैक्स दर में सुधार लाने की दिशा में केवल बेटियों वाले अभिभावकों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना में माँ अथवा पिता के पैतालिसवें जन्मदिन से अगले पन्द्रह वर्ष तक केवल बेटियों वाले परिवार का पंजीकरण किया जाता है। दोनों अभिभावकों में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे अभिभावक को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है।
हरियाणा में केवल बेटियों वाले परिवारों को एक तरह से आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है और इस लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के कारण बेटियों के प्रति सामाजिक नजरिये में भी कुछ अंतर अवश्य आया है। ऐसे अभिभावक जिनका कोई पुत्र नहीं है, एक प्रकार से सरकार उनको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा दे रही है। यह योजना निःसंदेह हरियाणा प्रदेश में बेटियों की सहभागिता, समावेषन, सषक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

आपकी बेटी हमारी बेटी (ABHB)

इस योजना का प्रारंभ हरियाणा में 22 जनवरी, 2015 को किया गया था। इस योजना में एक निश्चित धनराशि का निवेश बालिका के नाम पर किया जाता है तथा बालिका के 18 वर्ष के होने पर यह राशि लाभ सहित उसे दे दी जाती है। इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न है – हरियाणा में बाल–लिंग अनुपात में सुधार लाना, बालिका के जन्म के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, स्कूलों में लड़कियों के दाखिले में सुधार करना, बालिकाओं को ऐसी गतिविधियों में सहायता देना जो आय उपार्जन में सहायक हो एवं बालिकाओं के विवाह में देरी को बढ़ावा देना।
इस प्रकार आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी वृहत् उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ की गई है। इस योजना के सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से बालिकाओं को सशक्त करेंगे।

महिला एसिड विक्टिम्स के लिए राहत एवं पुनर्वास की योजना

हरियाणा सरकार ने एसिड विक्टिम्स स्त्रियों को तत्काल सहायता एवं राहत देने के लिए यह योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत घटना के 15 दिनों के अंदर एसिड विक्टिम्स स्त्रियों को एक लाख रुपये तदर्थ रूप से सहायता स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।
यह योजना न केवल विक्टिम्स स्त्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने में सहायक है अपितु साथ ही साथ एसिड विक्टिम्स स्त्रियों के पुनर्वास में भी सहयोगी है।

कन्या कोष

हरियाणा में इस नाम से एक कोष की स्थापना की गई। इस कोश में वैयक्तिक एवं संस्थागत दान स्वीकार किए जाते हैं। इस कोष राशि का इस्तेमाल बालिकाओं पर होता है। बालिकाओं की सहायता उनके कल्याण के लिए यह राशि खर्च होती है। इस दान राशि पर आयकर में भी छूट है।

हरियाणा स्टेट मैरिट स्कॉलरशिप टू अण्डरग्रैजुएट गर्ल स्टूडेंट्स

हरियाणा सरकार ने इस योजना का प्रारंभ 2005–06 वित्तीय वर्ष में किया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा प्रांत की प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना है। इस योजना का लाभ हरियाणा के सरकारी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही लड़कियां ही ले सकती हैं। इस योजना में कुछ शर्तों जैसे न्यूनतम अंकों इत्यादि के अतिरिक्त संख्या भी सीमित है।
हरियाणा सरकार की यह योजना निश्चित रूप से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहायक है।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी सरकारों ने स्त्री के सामाजिक समावेशन के संबंध में योजनाएं बनाई थी। हरियाणा प्रांत जो 2011 की जनगणना में बाल–लिंग अनुपात में सबसे पिछड़ा प्रांत था। उसमें बालिकाओं के प्रति समाज में नजरिये के बदलाव के लिए, बाल–लिंग अनुपात को संतुलित करने के लिए, स्त्रियों की सामाजिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी को बढ़ाने के लिए, स्त्री सषक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने भी आवश्यकतानुसार स्त्री संबंधी योजनाएं, नीतियां कार्यक्रम प्रारंभ किए। हरियाणा सरकार एवं केंद्र सरकार की इन स्त्री संबंधी योजनाओं का उद्देश्य स्त्री का सषक्तीकरण था। इन योजनाओं के उद्देश्य, सोच निश्चित रूप से सराहनीय है। स्त्री की सुरक्षा, सहायता की दृष्टि से भी योजनाएं बनाई गई और सरकार ने अपनी प्राथमिकता में स्त्री के समावेशन को रखा। अंत में कहा जा सकता है कि इन उपरोक्त योजनाओं ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्त्री को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सशक्त करने में मदद की है। ये सभी योजनाएं कार्यक्रम, नीतियां इत्यादि स्त्री के सामाजिक समावेशन, सुरक्षा, शिक्षा, भागीदारी इत्यादि की दिशा में सकारात्मक प्रयास है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. किशोरी शक्ति योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार. https://wcd.nic.in>kishori-shakti-y...
2. कन्या कोष, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार. https://wcdhry.gov.in>Kanya-kosh
3. निर्भया फण्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार.NIRBHAYA/Mi... https://wcd.nic.in
4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार. Women Empo... https://wcd.nic.in
5. लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार. https://socialjusticehry.gov.in>yk

6. सखी निवास - Working Women Hostel, Ministry of Women and Child Development. Government of Haryana. State Resource... https://wcd.nic.in
7. Apki Beti Hamari Beti, Department of Women and Child Development. Government of Haryana. https://wcdhry.gov.in
8. Haryana State Merit Scholarship to Under Graduate Girl Students, Department of Higher Education, State Government of Haryana. https:// highereduhry.ac.in
9. Integrated Child Protection Scheme, Ministry of Women & Child Development, Government of India. https://wcd.nic.in>integrated-child...
10. Mahila Police Volunteers, Ministry of Women and Child Development, Government of India. Mahila Police Volunteers. https://wcd.nic.in>schemes>mahil...
11. Mahila Shakti Kendra Scheme, Ministry of Women and Child Development, Government of India. https://wed.nic.in>schemes>mahil...
12. Mission Shakti, Women Helpline Scheme, Ministry of Women & Child Development, Government of India. Women Helpline. https://wed.nic.in
13. One Stop Centre Schemes, Ministry of Women and Child Development, Government of India. women Empo... https://wed.nic.in
14. Poshan Abhiyan, Ministry of Women and Child Development, Government of India. Poshan Abhiya... https://poshanabhiyaan.gov.in
15. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna, Women and Child Development Department, State Government of Haryana, Pradhan Mantri... https://wcdhry.gov.in & https://wcd.nic.in>schemes>pradh...
16. State Resource Centre for Women, Women and Child Development Department, Government of Haryana. State Resource... https://wedhry.gov.in
17. UJJAWALA: A Comprehensive Scheme for Prevention of Trafficking and Rescue, Rehabiliaion and Re-inegrated of Victims, Ministry of Women and Child Development, Government of India. https://wcd.nic.in